क्रम संख्या–101 (ख)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 23 सितम्बर, 2025 ई0

आश्विन 01, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सिंचाई अनुभाग–2

संख्याः– 859/II(2)/2025

ई0 पत्रावली संख्याः– 86739

देहरादून, 23 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0 आ0–67

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बाढ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित व्यक्तियों की अपीलों पर सुनवाई हेतु गढ़वाल मण्डलान्तर्गत, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल को विहित प्राधिकारी नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

युगल किशोर पन्त,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of **"The Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **859/II(2)/2025- E-File No. 86739,** dated September 23, 2025 for general information:

No. 859/II(2)/2025.
E-File. 86739
Dated Dehradun, September 23, 2025

NOTIFICATION

The Governor is pleased to give his assent to nominate the Commissioner, Garhwal Division in Garhwal Division and Commissioner Kumaun Division in Kumaun Division as the prescribed authority to hear appeals of persons aggrieved by the decision of the Flood Zoning Authority under sub-section (1) of section 15 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 07 of 2013).

By Order,

YUGAL KISHORE PANT,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06/सिंचाई/430–2025–100+50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।